

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

[प्रारूप 26
(नियम 4 के देखिए)]

कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विधान परिषद उप्र० (सदन का नाम)
के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



ATTESTED

भाग-अ

मैं, ओमप्रकाश ** पुत्र महेन्द्र सिंह आयु 49 वर्ष, जो ग्राम दादों, पोस्ट दादों, जिला अलीगढ़ (उप्र०) का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है / निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 73 अतर्रौली (उप्र०) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में भाग सं०-303 में क्रम सं०-164 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9720994104 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/है और ई-मेल पता (यदि कोई हो) है।

क्रम सं.	नाम	पीएन (स्थायी संख्या)	खाता	वह वित्तीय वर्ष जिसके आध-कर विवरणी में लिये अंतिम आय-कर दर्शाई गई कुल आय विवरणी फाइल की गई है (रुपये में)
1	अभ्यर्थी- ओमप्रकाश		नहीं	लागू नहीं
2	पति/पत्नी	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
3	आश्रित-1	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित-2	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित-3	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।: लागू नहीं।

(1) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं

क्रमांक

निवाचिनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए हैं	लागू नहीं
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है ज्ञ ऊपर (८) में लिखित मामलों के अलावाट:- लागू नहीं।

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख:	लागू नहीं
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के ब्यौरा	लागू नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या अपराध (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है। यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	वे जो सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थीं हैं। यदि हों, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्राप्तिस्थिति।	लागू नहीं

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और स्थाई आदि) ब्यौरा यहां नीचे देता क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1: संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण 2: निपेक्ष/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3: वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बावत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4: आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (v) में उसका है।

लागू नहीं

निवाचिनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

टिप्पण 5: प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम व्यौरे पृथक रूप में दिया जाना है।

(क्रम.सं.)	विवरण	स्वयं	पति/ पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	एक लाख रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के व्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निषेक), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	खाता सं० (1) 122510400028994 ग्रामीण बैंक आॅफ आयवर्त दादों अलीगढ़ धनराशि 1527.40/- रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों और कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के व्यौरे और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के व्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को उद्योग या व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियाँ और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(v)	वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियाँ और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vi)	स्थानीय यान/वायुयान/नाव/जहाज निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का व्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के व्यौरे)	3 तोला मूल्य 90,000/-रु०	10 तोला मूल्य 3,00,000/-रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे दावे का मूल्य/ व्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	1,91,527/-रु०	3,00,000/-रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ख. स्थावर आस्तियों के व्यौरे :

टिप्पण 1: संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।

टिप्पण 2: इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

३१ मार्च १९६१

निर्वाचिनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(क्रम.सं.)	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र (एकड़ा में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : स्थान सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफाइट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन : (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफाइट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	निर्भित क्षेत्र (वर्गफाइट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(लाभार्थी)

निर्वाचिनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(iv)		आवासिक भवन : (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	मकान पक्का, गांव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	500 वर्गफीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	300 वर्गफीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	पैतृक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	50,000/- रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)		अन्य (जैसे संपत्ति में हित)		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)		ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	50,000/- रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पणी: कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दे)

| (i) | | बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय
बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम
ऋण का प्रकार | कुछ नहीं |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय,
नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार | कुछ नहीं |
| | | कोई अन्य दायित्व | कुछ नहीं |
| | | दायित्वों का कुल योग | कुछ नहीं |
| (ii) | | सरकार के देय,
सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देय | कुछ नहीं |
| | | जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय | कुछ नहीं |
| | | लिद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय | कुछ नहीं |
| | | टेलीफोनों/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित | कुछ नहीं |

ठीकांक

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

| विभाग को देय, | कुछ नहीं |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित) | कुछ नहीं |
| आयकर देय | कुछ नहीं |
| संपत्ति कर देय | कुछ नहीं |
| सेवा कर देय | कुछ नहीं |
| नगरपालिका/संपत्ति कर देय | कुछ नहीं |
| बिक्री कर देय | कुछ नहीं |
| कोई अन्य देय | कुछ नहीं |
| (iii) सरकारी के सभी देयों का कुल योग | कुछ नहीं |
| (iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्रधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है | कुछ नहीं |

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं-शिक्षक, श्रीमती इन्द्रा गांधी इण्टर कालेज दादों, अलीगढ़ (वित्तविहीन)
 (ख) पति/पत्नी- गृहिणी

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

बी०ए० बी०ए१, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर 1993 बी०ए० 1995 बी०ए१

(प्रमाण पत्र डिप्लोमा/डिप्पी पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे है, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम है और वह वर्ष का ब्यौरा दे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)

भाग-ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरे का सार:

1 अभ्यर्थी का नाम	श्री ओमप्रकाश	
2 डाक का पूरा पता	ग्राम दादों, पोस्ट दादों, जिला अलीगढ़ (उ०प्र०)	
3 निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	73 अतरौली (उ०प्र०)	
4 राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा सनिदलीय-लिखें)	भाग सं०-३०३ में क्रम सं०-१६४ निर्दलीय	
5 (i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वष्ट्र या अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	कोई नहीं	
6 (ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	कोई नहीं	
6 उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनिष्ट किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिकतम, 1951, की धारा 8 की उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय।	कोई नहीं	

द्वे अलग ग्रन्थ

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

7.		का स्थायी खाता संख्या (पीएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	दराई गई कुल आय
	(क) अध्यर्थी -ओमप्रकाश		कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) पति या पत्नी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) आश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपयों में ब्यौरे			
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1 आश्रित 2 आश्रित 3
अ.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	50,000/- रु0	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं
आ	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
I	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हों)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
II	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
III	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
9.	दायित्व			
	(i) सरकार के देय (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
11.	दायित्व जो विवादग्रस्त है			
	(i) सरकार से देय (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	50,000/- रु0	कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:			
	<u>बी०ए०, बी०ए१, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर 1993 बी०ए० 1995 बी०ए१</u> (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिप्लोमा/पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दे, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दे और वह वर्ष का ब्यौरा दे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)			

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और
विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं
गई है। मैं यह भी घोषित करता हूं:-

(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं
दोषसिद्ध नहीं हुआ हूं या कोई मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।

ठोक्टिला२

निवाचिनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में
उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरी पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

..... स्थान पर आज तारीख 01.2017 को सत्यापित किया गया।

लोगों का नाम

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष

शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुपादय और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।



Sworn before me this day of
by Shri..... to whom the
Contents of the affidavit have been
read over and explained who is identified
Sri.....

L.R. NARAYAN (Advocate)
Govt. Notary, Kannur (U.P.)